

समय चाहिए। पत्रावली  
12.08.2024 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्री करणपुर

12/8/24

अधिवक्तागण उपस्थित। जवाब प्राथना  
पत्र हेतु सप्रथ पंक्ति। पत्रावली  
वास्ते जवाब प्राथना पत्र दिनांक  
30/8/24 को पेश हो।

27/8/24

आप भद्र पत्रावली प्राथीगण अधिवक्ता के  
द्वारा प्राथना पत्र अंतर्गत धारा 212 RTA  
नोटिफिकेशन करने पर यही में ली गई प्राथी  
अधिवक्ता को सूना गया व पत्रावली का  
अवलोकन किया गया। विनामा प्राथीगण  
का प्राथना पत्र अंतर्गत धारा 212 RTA  
नोटिफिकेशन करने पर खारिज किया जाता है।  
पत्रावली विगीत होकर नम्बर से पत्र  
होकर वापिस निकलता है।



Not Press  
27/8/2024

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्री करणपुर